विविध **बैंक प्रकरण संख्या 28/2024(GCMS : 2024/51) Vastu Housning Financ Corporation Limited, First Floor, Marudhar Plaza, F-300, Shyam Nagar, New Sanganer Road, Opposite Metro Pillar No. 102, Sodala, Jaipur, Rajasthan**

बनाम

1. **Mr Pawan Kumar Girdhar Resident Address** 4'O', 3'O', Sriganganagar Rajasthan -335073 **Office Address** 4'O' Lakhiya, Tehsil Srikaranpur, Sriganganagar, Rajasthan-335073 **Property Address** Patta no. 10, Village 4'O' Lakhiya, Tehsil Srikaranpur, Sriganganagar, Rajasthan-335073
2. **Mrs Seema Rani, Resident Address** 4'O', 3'O', Sriganganagar Rajasthan - 335073 **Property Address** Patta no. 10, Village 4'O' Lakhiya, Tehsil Srikaranpur, Sriganganagar, Rajasthan-335073

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.05.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री सजय वर्मा उपस्थित हुए। और निवेदन किया कि उन्होंने प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरशन लिमिटेड ने अप्रार्थीगण पवन कुमार एवं सीमा रानी द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी पवन कुमार की आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 10(बुक संख्या 102, संकल्प संख्या 01) दिनांक 29.05.2017 को जारी, जिसका नवीनकरण प्रस्ताव संख्या 4 की अनुपालना में दिनांक 05.12.2019 को ग्राम पंचायत 3''ओ'' पंचायत समिति एवं तहसील श्रीकरणपुर **का भौतिक** कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2024 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि उक्त प्रकरण में नोटिस चस्पांदगी की कार्यवाही अमल में लाने के दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रस्तुत नहीं किये गये है। धारा 13(2) का पूर्ण पालना के दस्तावेज उपलब्ध होने पर, पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट को वापिस लिये जाने करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 05.03.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाईनेंस कम्पनी लि. द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पवन कुमार एवं सीमा रानी के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी पवन कुमार की आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 10(बुक संख्या 102, संकल्प संख्या 01) दिनांक 29.05.2017 को जारी, जिसका नवीनकरण प्रस्ताव संख्या 4 की अनुपालना में दिनांक 05.12.2019 को ग्राम पंचायत 3''ओ'' पंचायत समिति एवं तहसील श्रीकरणपुर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, **इस प्रकरण को वापिस लौटाने की अनुमति/विड्रा करने की अनुमति का प्रार्थना पेश किया है, जो शामिल पत्रावली हैं। प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं ने माना है कि उनके द्वारा प्रस्तुत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रकरण में अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की चस्पांदगी के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है अर्थात अप्रार्थीगण को विधिवत् तामील नहीं हुई है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी वास्तु हाउसिंग फाईनेंस लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर, सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र** है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली तरतीब तकमील बाद दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:08 IST
Reason: SelfAttested

(लोकबंधु)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर